कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली

(शिक्षा भवन, दिग्धीकला, हाजीपुर)

बीरेन्द्र नारायण, बि0शि0से0
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

मोबाईल नं0–8544412079
हाजीपुर, वैशाली–844102

E-mail Id.-deovaishali.edn@gmail.com

पत्रांक.......1271 / MJJ

सेवा मे,

सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी,
जिला–वैशाली।

विषयः– **वर्ष 2024–25 में सरकारी विद्यालयों में नामांकित छात्र–छात्राओं (वर्ग–1 से 12) से संबंधित आँकड़ों की प्रविष्टि e-shikshakosh Portal पर करने के संबंध में।**

प्रसंगः– **राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना के पत्रांक A&ST/01/ 2018&19 /Part&II/2172 दिनांक 09.05.2024**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में अंकित करना है कि **सरकारी /सहायता प्राप्त/बिहार बोर्ड से मान्यता प्राप्त /निजी विद्यालयों में वर्ग–1 से 12 तक के नामांकित छात्र–छात्राओं से संबंधित आँकड़ों की प्रविष्टि E-Shikshakosh Portal पर किया जाना है।** विदित हो कि विद्यालयों में नामांकित बच्चों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer) प्रक्रिया में उनके आधार संख्या प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा राज्य के सरकारी विद्यालयों में नामांकित बच्चों से संबंधित सूचनाओं के E-shikshakosh Portal पर प्रविष्टि के क्रम में स्वैछिक आधार प्रमाणीकरण के प्रयोग हेतु भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा सहमति दी गई है।

01 अप्रैल, 2024 से सभी विद्यालयों में बच्चों के नामांकन का कार्य प्रारंभ है। नामांकन पंजी में अंकित सभी बच्चों से संबंधित सूचनाओं/आँकड़ों की प्रविष्टि e-shikshakosh Portal पर किया जाना है।

e-shikshakosh Portal पर विद्यालयों में नामांकित छात्र/छात्राओं से संबंधित आँकड़ों की प्रविष्टि के क्रम में निम्न निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय :-

1. विद्यालयों में नामांकित जिन छात्र/छात्राओं के पास आधार संख्या नहीं है, उनका नामांकन छात्र/छात्राओं के अभिभावकों के द्वारा स्वेच्छा से घोषित कागजातों के आधार पर किया जाय तथा नामांकन के उपरान्त उनका आधार कार्ड अनिवार्य रूप से बनवाकर उनके आँकड़ों की प्रविष्टि e-shikshakosh Portal पर की जाय।
2. विद्यालयों में नामांकित छात्र/छात्राओं से संबंधित आँकड़ों की प्रविष्टि अनिवार्य रूप से e-shikshakosh Portal पर प्रखंड संसाधन केन्द्रों एवं विद्यालयों में संचालित ICT Lab के माध्यम से ही कराया जाय। किसी भी परिस्थिति में आँकड़ों की प्रविष्टि साईबर कैफे (Cyber Cafe) से नहीं कराया जाय।
3. जिन CRC के विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षक कार्यरत हैं, उक्त CRC का e-shikshakosh Portal पर आँकड़ों की प्रविष्टि की जवाबदेही वहाँ कार्यरत कम्पयूटर शिक्षक की होगी। जिन विद्यालयों में BOO/BOOT मॉडल के ICT Lab संचालित है, परन्तु कम्प्यूटर शिक्षक पदस्थापित नहीं हैं, उन विद्यालयों में आँकड़ों की प्रविष्टि की जिम्मेदारी वहाँ कार्यरत आईसीटी लैब इंस्ट्रक्टर एंव प्रधानाध्यापक की होगी, जो वहाँ प्रविष्टि का कार्य करेंगे।
4. सभी प्राथमिक विद्यालयों में ICT Lab संचालित नहीं है, उन विद्यालयों का e-shikshakosh Portal पर आँकड़ों की प्रविष्टि प्रखंड संसाधन केन्द्र से कराने की जबावदेही संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की होगी।

5. जिन विद्यालयों में BOOT मॉडल के ICT Lab हैं, उन विद्यालयों में आँकड़ों की प्रविष्टि की जिम्मेदारी वहाँ कार्यरत आईसीटी लैब इंस्ट्रक्टर की होगी।

7. जिन CRC के विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षक कार्यरत नही हैं, उक्त CRC का **e-shikshakosh Portal** पर आँकड़ों की प्रविष्टि प्रखंड संसाधन केन्द्र से कराने की जबावदेही संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की होगी।

8. वैसे सभी विद्यालयों जो CRC नही है, परन्तु कम्प्यूटर शिक्षक पदस्थापित हैं, उक्त विद्यालयों का **e-shikshakosh Portal** पर आँकड़ों की प्रविष्टि की जवाबदेही वहाँ कार्यरत कम्पयूटर शिक्षक की होगी।

9. सहायता प्राप्त/बिहार बोर्ड से मान्यता प्राप्त /निजी विद्यालयों का **e-shikshakosh Portal** पर आँकड़ों की प्रविष्टि की जवाबदेही उक्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक की होगी।

10. प्रखंड स्तर पर पदस्थापित बी०पी०एम० एवं बी०आर०पी० की जबावदेही होगी कि प्रखंड के अंतर्गत विद्यालयों में आँकड़ों की प्रविष्टि एवं अनुश्रवण करेंगे ताकि इस कार्य को सूचारू रूप से ससमय पूरा किया जा सके। संबंधित प्रखंडों के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा नामांकन के आँकड़ों की प्रविष्टि कार्य के लिए बी०पी०एम० एवं बी०आर०पी० के बीच विद्यालयों को आवंटित करेंगे।

11. आँकड़ों की प्रविष्टि पूरी सावधानी के साथ कराया जाय, क्योंकि इन्हीं ऑकड़ों के आधार पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (**Direct Benefit Transfer**) से संबंधित योजनाओं यथा मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना, बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री बालिका इण्टरमीडिएट प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री बालक–बालिका प्रोत्साहन योजना (मैट्रिक प्रथम श्रेणी लाभ) एवं छात्रवृति आदि को केवल **e-shikshakosh Portal** पर उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर क्रियान्वयन किया जाना है।

12. विद्यालय स्तर पर इस कार्य को सुगमतापूर्वक कराने की जबावदेही प्रधानाध्यापक की होगी। विद्यालय मे कार्यरत सभी वर्ग शिक्षक/ शिक्षिका आँकड़ा की प्रविष्टि करने मे प्रधानाध्यापक का सहयोग करेगें तथा प्रधानाध्यापक CRC/ICT Lab/ प्रखंड संसाधन केन्द्र मे आँकड़ा प्रविष्टि के समय उपस्थित रहेगें तथा किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए वे जवाबदेह होंगे।

13. प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी / बी०पी०एम० प्रखंड स्तर पर इस कार्य के लिए नोडल पदाधिकारी होंगे। **e-shikshakosh Portal** में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकारण द्वारा छात्र/छात्राओं के आधार सत्यापन की सुविधाओं को समाहित किए जाने के साथ ही पोर्टल में किए गए अन्य बदलाव के संबंध में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का अलग से शीघ्र उन्मुखीकरण किया जायेगा, जिसके लिए अलग से सूचना दी जाएगी।

14. जिला स्तर पर श्रीमती कुमारी प्रतिभा आनंद सहायक कंप्यूटर प्रोग्रामर, श्री रमन कुमार पासवान नामांकण प्रभारी, श्री सरफराज नवाज जिला परियोजना प्रबंधक इस कार्य के लिए नोडल पदाधिकारी होंगे।

अतः निदेश है कि उक्त के अनुसार नामांकित छात्र/छात्रओं से संबंधित आँकड़ों की प्रविष्टि **e-shikshakosh Portal** पर सुनिश्चित कराया जाय।

विश्वासभाजन

(बीरेन्द्र नारायण)
जिला शिक्षा पदाधिकारी
वैशाली

ज्ञापांक 1271 /हाजीपुर, दिनांक 16/05/24

प्रतिलिपिः सभी सरकारी /सहायता प्राप्त/बिहार बोर्ड मान्यता प्राप्त /निजी विद्यालयों के प्रचार्य /प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक/कम्पयूटर शिक्षक/आईसीटी लैब इंस्ट्रक्टर जिला–वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः सभी प्रखंड के BPMU कर्मी जिला–वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/5/24

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली